अध्याय-IV

उच्च शिक्षा में पहुंच एंव समता

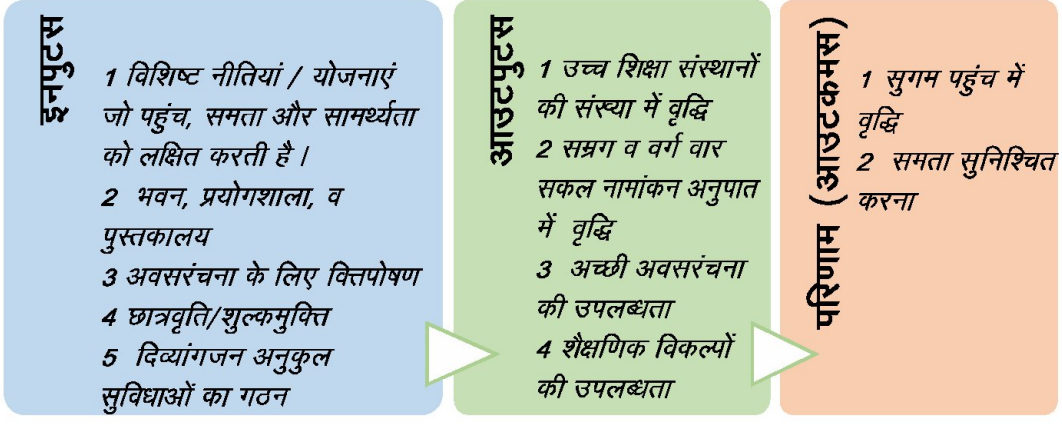
अध्याय – IV
उच्च शिक्षा में पहुंच एवं समता

उच्च शिक्षा में पहुंच एवं समता को व्यापक रूप से किसी भी सरकार के मूल और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के एक ऐसे तंत्र जो समाज के सभी वर्गों के लिए आसानी से सुलभ हो, का निर्माण करना उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण परिणाम (आउटकम) है जिसे सरकार प्राप्त करना चाहती है। उच्च शिक्षा तक पहुंच को किसी क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त रूप से उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। समता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों का उच्च शिक्षा में भाग लेने के समान अवसर है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तंत्र जो कि समाज के सभी वर्गों के लिए आसानी से सुलभ हों, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3 : क्या सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित की गई

समता व पहुंच संबंधी परिणाम और योगदानकारी कारकों के साथ उनके संबंध को नीचे दिए गए निरूपण से समझा जा सकता है।



इन परिणामों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ-साथ संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षा में सुगम पहुंच, व्यापक समता और सामर्थ्यता को लक्षित करने वाली विशिष्ट नीतियां व योजनाएं बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इससे भी बढ़कर, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछडे और समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए छात्रवृत्ति/शुल्कमुक्ति और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थानों की संस्था में एक योजनाबद्ध और न्यायसगंत वृद्धि होगी और यह अधिक नामांकन को प्रोत्साहित करेगा जिससे विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में सकल नामांकन अनुपात के स्तर में वृद्धि होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर ने अनुच्छेद 4.2.3 (i) एवं 4.3.2.2(i) में सभी विभागों की समग्र व पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। पूर्ण सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा ने संबंधित विश्वविद्यालयों के चयनित 11 विभागों[56] से उक्त सूचनाएं एकत्र की।

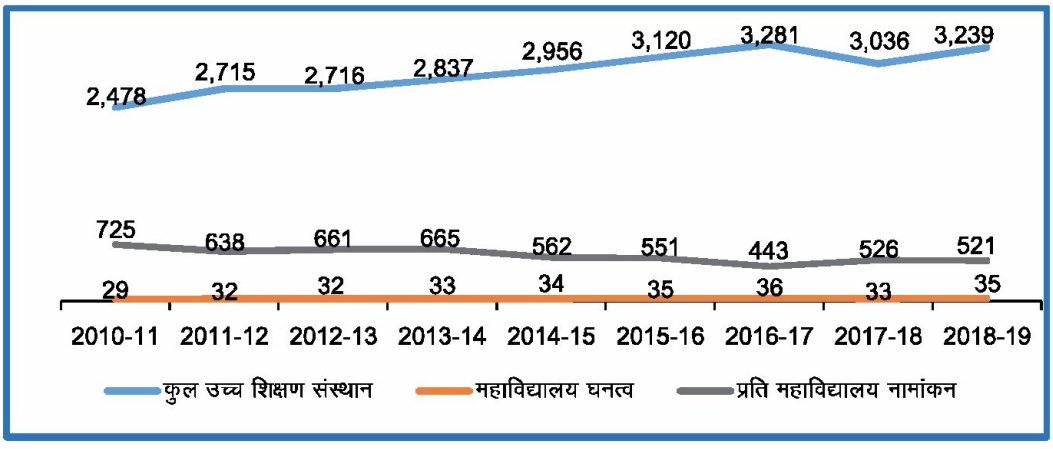
4.1 उच्च शिक्षा तक सुगम पहुंच

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में व्यक्त किया गया है कि क्षेत्रीय समता के उदेश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक तौर पर पूर्व में उपलब्ध अवसरचनाओं के समग्र व बेहतर उपयोग, अवसरचनाओं के उन्नयन व नए संस्थानों के निर्माण के माध्यम से सुगम पहुंच को प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे भी बढ़कर, पिछले कुछ वर्षो में भारत सरकार के आउटपुट – आउटकम फ्रेमवर्क[57] और राजस्थान सरकार के परिणाम बजट[58] में उच्च शिक्षा में पहुंच को बढ़ाने के लिए नये उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण व विद्यमान उच्च शिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है। इस खंड में, उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या, क्षेत्रीय पहुंच, शैक्षणिक विकल्पों की उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्थान में उच्च शिक्षा में सुगम पहुंच और समग्र तथा वर्गवार के सकल नामांकन अनुपात पर चर्चा की गई है।

4.1.1 राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 'उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण' (एआईएसएचई) रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 2010-19 के दौरान सभी प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों[59] की संख्या, महाविद्यालय घनत्व (प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालय) और प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन की संख्या नीचे ***चार्ट 4.1*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.1 : राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता



56 रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, व्यवसायिक प्रशासन, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल एवं अर्थशास्त्र ।

57 2017-18 के बाद भारत सरकार के आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क की अनुदान संख्या 58 के अंतर्गत ।

58 महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए बजट मद 4202 के अन्तर्गत अनुदान प्रदान किया जा रहा है ।

59 राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय, राज्य के निजी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राजकीय महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय आदि ।

यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2018-19 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों[60] की संख्या 30.71 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2,478 से 3,239 हो गई और महाविद्यालय घनत्व भी 20.69 प्रतिशत की वृद्धि से 29 से 35 महाविद्यालय प्रति लाख जनसंख्या हो गया।

4.1.1.1 नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए नीतियां

बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने उच्च शिक्षण सस्थानों की कमी वाले आवासीय क्षेत्रों और बस्तियों की पहचान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के भौगोलिक मानचित्रण के उपयोग की परिकल्पना की गई।

यह देखा गया कि राजस्थान सरकार की ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और असेवित क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय खोलने की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। सरकार के पास उच्च शिक्षण संस्थानों के भौगोलिक मानचित्रण (मैपिंग) के लिए कोई नीति नहीं है ना ही इसने उच्च शिक्षण सुविधाओं से वंचित बस्तियों की पहचान और तदानुसार राज्य में कुल उच्च शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु कोई भौगोलिक मानचित्रण की कार्यवाही की।

4.1.1.2 राजस्थान के शैक्षिक ब्लॉकों में उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण

आयुक्तालय (कॉलेज शिक्षा) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2018-19 तक राजस्थान में 289 शैक्षिक ब्लॉक थे और जिनमें से 12 ब्लॉकों (4.15 प्रतिशत) में न तो कोई राजकीय और न ही निजी महाविद्यालय था, 89 ब्लॉकों (30.80 प्रतिशत) में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था और 238 ब्लॉकों (82.35 प्रतिशत) में कोई राजकीय बालिका महाविद्यालय नहीं था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि महाविद्यालय रहित ब्लॉकों में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की नीति दिसम्बर 2019 में बनाई गई थी तथा तदनुसार महाविद्यालय रहित ब्लॉकों में उनकी जनसंख्या, महाविद्यालय खोलने की माँग पर विचार करके और राज्य का सकल नामांकन औसत बढ़ाने हेतु चरणबद्ध तरीके से नए महाविद्यालय खोले जाएंगे।

4.1.2 क्षेत्रीय पहुंच

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) यह विहित करती है कि संस्थानों के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी यानी रेगिस्तानी क्षेत्र, और दक्षिणी यानी आदिवासी क्षेत्र) में उच्च शिक्षण सस्थानों की उपलब्धता की तुलना करके राजस्थान में उच्च शिक्षा तक पहुंच की स्थिति का आंकलन किया।

60 विश्वविद्यालयों में 93.02 प्रतिशत और महाविद्यालयों में 29.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.1.2.1. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच

लेखापरीक्षा ने देखा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रवार निजी महाविद्यालयों के वितरण की सूचना ना तो 'एआईएसएचई' रिर्पोट में और ना ही आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के पास उपलब्ध थी। आगे, यह भी बताया गया कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के पास सामान्य डिग्री के निजी महाविद्यालयों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रवार वितरण की सम्पूर्ण सूचना भी उपलब्ध नहीं थी। अतः सूचना की सीमित उपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा संवीक्षा 2014-19 के दौरान, सामान्य डिग्री के राजकीय महाविद्यालयों के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रवार वितरण तक ही सीमित थी।

2014-19 के दौरान शहरी/ग्रामीण क्षेत्र वार सामान्य डिग्री के राजकीय महाविद्यालयों का वितरण तथा जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की अनुमानित जनसँख्या [61] ***तालिका 4.1*** में दी गई है।

तालिका 4.1 राजकीय महाविद्यालयों का शहरी/ग्रामीण क्षेत्र वार वितरण

वर्ष	सामान्य डिग्री के राजकीय महाविद्यालयों की संख्या			अनुमानित जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार 18-23 वर्ष आयु के व्यक्ति)	
	कुल महाविद्यालय	शहरी क्षेत्र में महाविद्यालय (%)	ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय (%)	शहरी क्षेत्र (%)	ग्रामीण क्षेत्र (%)
2014-15	175	74.86	25.14	24.89	75.11
2015-16	180	71.67	28.33	24.57	75.43
2016-17	192	69.79	30.21	23.92	76.08
2017-18	209	66.99	33.01	23.34	76.66
2018-19	237	62.87	37.13	22.80	77.20

स्रोत : आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदान की गई सूचना और भारत के महापंजीयक व आयुक्त जनगणना के कार्यालय की साईट से डाउनलोड

यह देखा जा सकता है कि राजकीय महाविद्यालयों की संख्या यद्यपि, 2014-15 में 175 से बढ़कर 2018-19 तक 237 हो गई थी किन्तु इन महाविद्यालयों का शहरी/ग्रामीण क्षेत्र वार वितरण इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप नहीं था। 2014-19 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में आयु वर्ग 18-23 वर्ष की 75.11 प्रतिशत से 77.20 प्रतिशत जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु केवल 25.14 प्रतिशत से 37.13 प्रतिशत राजकीय महाविद्यालय ही उपलब्ध थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बेहतर पहुंच के लिए महाविद्यालय रहित ब्लॉकों में चरणबद्ध तरीके से राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।

61 भारत के महापंजीयक और आयुक्त जनगणना के कार्यालय, गृह मत्रांलय की साइट से डाउनलोड की गई एकल वर्ष की आयु तालिका (तालिका सी -13) के अनुसार

4.1.2.2 राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच

एक क्षेत्र के भौतिक/भौगोलिक पहलू भी उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच को प्रभावित करतें हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सामान्य स्ट्रीम के राजकीय तथा निजी महाविद्यालयों[62] की क्षेत्रवार उपलब्धता को पूर्वी क्षेत्र (नौ जिले), पश्चिमी क्षेत्र (छ जिले), उत्तरी क्षेत्र (सात जिले) व दक्षिणी क्षेत्र (11 जिले) में बांटे गए हैं । 2014-19 के दौरान राजकीय और निजी महाविद्यालयों की क्षेत्रवार उपलब्धता नीचे ***तालिका 4.2*** में दी गई है :

तालिका 4.2 : महाविद्यालयों की क्षेत्रवार उपलब्धता

भौगोलिक क्षेत्र	राजकीय महाविद्यालयों की संख्या		निजी महाविद्यालयों की संख्या		कुल महाविद्यालयों की संख्या		2018-19 की जनसँख्या लाख में (%)
	2014 – 15 (%)	2018 – 19 (%)	2014 – 15 (%)	2018 – 19 (%)	2014 – 15 (%)	2018 – 19 (%)	
पूर्वी क्षेत्र	61(34.86)	74(31.22)	555(41.05)	612(40.16)	616(40.34)	686(38.96)	30.47 (33.25)
पश्चिमी क्षेत्र	27(15.43)	44(18.57)	94 (6.95)	162(10.63)	121(7.92)	206(11.70)	16.36 (17.86)
उत्तरी क्षेत्र	38(21.71)	48(20.25))	515(38.09)	544(35.69)	553(36.22)	592(33.61)	22.13 (24.15)
दक्षिणी क्षेत्र	49(28.00)	71(29.96)	188(13.91)	206(13.52)	237(15.52)	277(15.73)	22.67(24.74)
कुल	175	237	1352	1524	1527	1761	91.63

स्रोत : आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि 2014-19 के दौरान सामान्य डिग्री के महाविद्यालयों का प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में 40.34 से 38.96 प्रतिशत तक और उत्तरी क्षेत्र में 36.22 से 33.61 प्रतिशत तक घटा, जबकि यह पश्चिमी क्षेत्र में 7.92 से 11.70 प्रतिशत तक और दक्षिणी क्षेत्र में 15.52 से 15.73 प्रतिशत तक बढ़ा ।

आगे, 2018-19 के दौरान, उत्तरी क्षेत्र के 7 जिलों में (22.13 लाख) और दक्षिणी क्षेत्र के 11 जिलों में (22.67 लाख) 18-23 वर्ष की जनसख्या लगभग समान थी, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में कुल महाविद्यालयों की संख्या (592 महाविद्यालय) दक्षिणी क्षेत्र के कुल महाविद्यालयों की संख्या (277 महाविद्यालय) के दोगुनी से भी ज्यादा थी। जो यह दर्शाता है कि राज्य में सामान्य डिग्री के महाविद्यालयों का क्षेत्रवार वितरण आनुपातिक नहीं था। राज्य सरकार ने इस बारे में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

4.1.2.3 विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों कि उपलब्धता

बारहवीं पंचवर्षीय योजना संस्थानों के वितरण में संकायों के असंतुलन को ठीक करने का समर्थन करती है। उपलब्ध सूचना की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के पास राज्य में

62 **पूर्वी क्षेत्र** में शामिल जिलों के नाम- अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक; **पश्चिमी क्षेत्र** - बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही; **उत्तरी क्षेत्र**- बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर और श्री गंगानगर; **दक्षिणी क्षेत्र**- बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर।

स्थित निजी महाविद्यालयों की संकायवार संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं था। उक्त आंकड़ों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ने 2014-19 के दौरान राज्य में स्थित सामान्य डिग्री के केवल राजकीय महाविद्यालयों की संख्या, कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय (स्ट्रीम) में प्रथम वर्ष में सीटों की उपलब्धता तथा नामांकित छात्रों की संख्या का विश्लेषण किया जैसा कि नीचे ***तालिका 4.3*** में दिया गया है :

तालिका 4.3: राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों की उपलब्धता

वर्ष	राजकीय महाविद्यालयों की संख्या	कला संकाय			विज्ञान संकाय			वाणिज्य संकाय		
		महाविद्यालयों की संख्या (%)	उपलब्ध सीट (%)	नामांकन (%)	महाविद्यालयों की संख्या (%)	उपलब्ध सीट (%)	नामांकन (%)	महाविद्यालयों की संख्या (%)	उपलब्ध सीट (%)	नामांकन (%)
2014-15	175	161 (92.00)	64.67	67.05	100 (57.14)	17.69	16.25	108 (61.71)	17.64	16.70
2015-16	180	170 (94.44)	65.02	67.57	100 (55.55)	17.52	17.14	111 (61.66)	17.46	15.29
2016-17	192	182 (94.79)	65.75	67.83	103 (53.64)	16.91	17.80	112 (58.33)	17.34	14.37
2017-18	209	190 (90.90)	64.86	68.42	112 (53.58)	17.95	18.18	114 (54.54)	17.19	13.40
2018-19	237	223 (94.09)	66.22	69.96	115 (48.52)	17.53	17.97	114 (48.10)	16.25	12.07

स्रोतः आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

इन आंकड़ों पर निम्नलिखित टिप्पणियां की जा सकती हैं :

- विज्ञान और वाणिज्य संकाय वाले महाविद्यालयों की आनुपातिक उपलब्धता लगातार कम हो रही थी जबकि कला संकाय वाले महाविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही थी।
- विज्ञान और वाणिज्य दोनों संकायों में सीटों की उपलब्धता घटी, जबकि यह कला संकाय में बढ़ी।
- 2014-19 के दौरान कला संकाय में छात्रों का नामांकन विज्ञान और वाणिज्य संकायों में छात्रों के कुल नामांकन से लगभग दोगुना से भी अधिक था।

इस प्रकार, सभी संकायों में आनुपातिक रूप से शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की विफलता के कारण वर्ष 2014-19 के दौरान संकाय विशेष में नामांकन की प्रवृति को प्रभावित किया जो भावी छात्रों को शैक्षणिक विकल्पों की उपलब्धता में कमी को उजागर करता है।

4.2 सकल नामांकन अनुपात

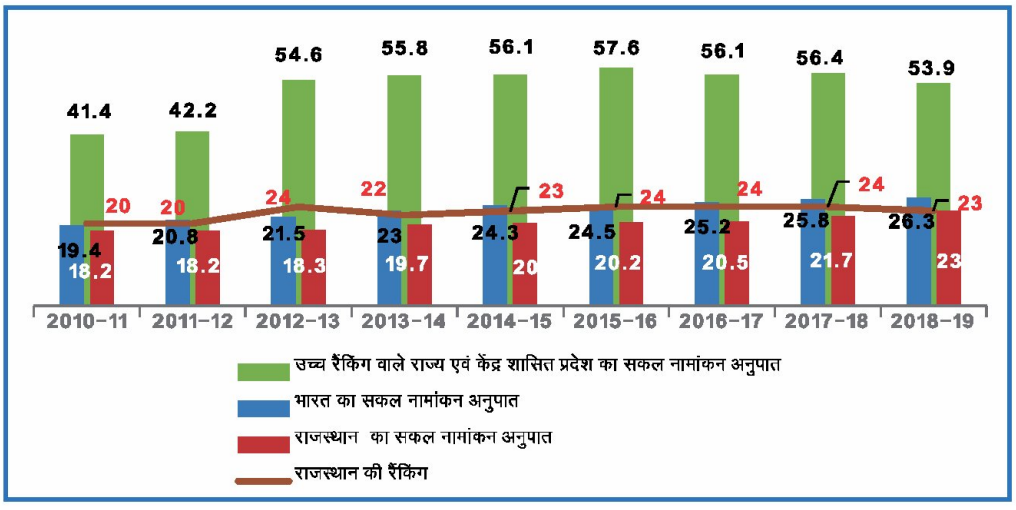
भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात[63] 2011-12 के 15 प्रतिशत से बढाकर 2016-17 तक 21 प्रतिशत व आगे 2020 तक 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य उच्च शिक्षा आयोजना

63 सकल नामांकन अनुपात उम्र पर ध्यान दिए बिना, उच्च शिक्षा में एक निश्चित वर्ष में कुल नामांकन है जो कि पात्र आधिकारिक जनसंख्या (18-23 वर्ष) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

(2015-19) में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2019 तक 26 और वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से सकल नामांकन अनुपात व सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के नांमाकन संबंधी डेटाबेस संधारित नहीं किए गए और वह 'एआईएसएचई' रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों पर निर्भर थी। वर्ष 2010-19 की अवधि के लिए समग्र भारत के समक्ष राजस्थान का सकल नांमाकन अनुपात एवं राजस्थान की उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय रैंकिंग नीचे ***चार्ट 4.2*** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 4.2 : राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य का सकल नामांकन अनुपात



यह देखा जा सकता है कि :

- हालांकि 2010-19 के दौरान राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि की प्रवृति प्रदर्शित हुई लेकिन यह राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से लगातार कम रहा। उल्लेखनीय है कि 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में राजस्थान की रैंकिंग 2010-11 में 20$^{वें}$ स्थान से नीचे आकर 2018-19 में 23$^{वें}$ स्थान तक पहुँच गई।
- आगे, 2018-19 की 'एआईएसएचई' रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राजस्थान महाविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से चौथे नम्बर पर (3,156 महाविद्यालय) और महाविद्यालय घनत्व[64] (प्रति लाख जनसंख्या पर 35 महाविद्यालय) की दृष्टि से आठवें नम्बर पर है। महाविद्यालयों[65] के जिलेवार विभाजन के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि चार जिलों (12.12 प्रतिशत) में प्रत्येक में 200 से अधिक

64 प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की संख्या।

65 दो जिलों में 10-19 महाविद्यालय, 12 जिलों में 20-49 महाविद्यालय, आठ जिलों में 50-99 महाविद्यालय, सात जिलों में 100-199 महाविद्यालय, तीन जिलों में 200-299 महाविद्यालय, एक जिले में 500-999 महाविद्यालय।

महाविद्यालय हैं जबकि 14 जिलों (42.42 प्रतिशत) में प्रत्येक में 50 से कम महाविद्यालय हैं। इस प्रकार, राजस्थान में महाविद्यालयों की संख्या एवं महाविद्यालय घनत्व अधिक होने के उपरांत भी अपेक्षाकृत कम सकल नामांकन अनुपात को विभिन्न क्षेत्रों/जिलों में महाविद्यालयों की विषम उपलब्धता और कम नामांकन से समझा जा सकता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि सकल नामांकन अनुपात की गणना आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि यह केवल सामान्य शिक्षा के लिए उत्तरदायी है जबकि सकल नामांकन अनुपात की गणना सभी उच्च शिक्षा अर्थात इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोलिटेक्निक, सामान्य शिक्षा आदि में नामांकन के लिए की जाती है। आगे, राजस्थान सरकार सकल नामांकन अनुपात आंकड़ों के लिए एमएचआरडी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 'एआईएसएचई' रिर्पोट पर निर्भर है। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि बेहतर नियोजन के लिए, राज्य सरकार को अलग-अलग क्षेत्रवार/जिलेवार सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना चाहिए।

4.2.1 वंचित समूहों का सकल नामांकन अनुपात

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है कि अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) सहित वंचित वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने और उच्च शिक्षा की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के वर्चस्व वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने और समग्र तरीके से विभिन्न समता योजनाओं का समावेश करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण उपाय होगा। आगे, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुच्छेद संख्या 2.2.2 (अ) के अनुसार, उच्च शिक्षा तक पहुंच में पुरूषों और महिलाओं के बीच के अंतर को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है।

कमजोर वर्गों के नामांकन में सुधार और ऐसे सुधार के लिए लक्षित उपायों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए वर्ग वार सकल नामांकन अनुपात का उपयोग सबसे सामान्य माप है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओबीसी/अल्पसंख्यकों और दिव्यांग वर्गों के सकल नामांकन अनुपात के संबध में आंकडें ना तो 'एआईएसएचई' रिपोर्ट में उपलब्ध है और ना ही राजस्थान सरकार द्वारा इनको संधारित किया गया है। सम्पूर्ण आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा 2014-19 की अवधि के लिए समग्र भारत के समक्ष राजस्थान में एससी/ एसटी वर्ग के सकल नामांकन अनुपात और लैंगिक समानता सूचकांक[66] का ही विश्लेषण किया जा सका जिसे ***तालिका 4.4*** में नीचे विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है।

66 इसकी गणना उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात को पुरुषों के सकल नामांकन अनुपात के भागफल के रूप में की जाती है।

तालिका 4.4 : एससी और एसटी वर्ग का सकल नामांकन अनुपात एवं लैंगिक समानता सूचकांक

वर्ष	एससी वर्ग का सकल नामांकन		एसटी वर्ग का सकल नामांकन		लैंगिक समानता सूचकांक	
	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान
2014-15	19.1	14.7	13.7	15.8	0.92	0.82
2015-16	19.9	15.2	14.2	15.2	0.92	0.85
2016-17	21.1	16.1	15.4	17.9	0.94	0.89
2017-18	21.8	17.2	15.9	18.5	0.97	0.91
2018-19	23.0	20.0	17.2	21.3	1.00	1.00

स्रोत : 'एआईएसएचई' रिपोर्ट के अनुसार

- 2014-19 के दौरान यह देखा जा सकता है कि, यद्यपि राजस्थान के एससी वर्ग के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई, लेकिन यह अभी भी सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत से कम था। राजस्थान के एसटी वर्ग के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई और यह सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत से अधिक था जो एक सकारात्मक प्रवत्ति दर्शाता है।
- राजस्थान के सभी वर्गों के लैंगिक समानता सूचकांक में वृद्धि हुई और यह अखिल भारतीय औसत से मेल खाता है। 'एआईएसएचई' रिपोर्ट की संवीक्षा में आगे पाया गया 2014-19 की अवधि के दौरान एससी और एसटी वर्गों का लैंगिक समानता सूचकांक क्रमशः 0.77 से 0.93 और 0.76 से 0.92 तक बढ़ा है ।

उत्तम कार्यप्रणाली : समग्र लैंगिक समानता सूचकांक तथा एससी और एसटी वर्गों के लैंगिक समानता सूचकांक में बढ़ोतरी सुगम पहुंच हेतु राज्य सरकार के प्रयासों के नतीजे हो सकते है जैसे कि छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क की छूट और छात्राओं को 'मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना' और 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना' के अंतर्गत दुपहिया वाहन (स्कूटी) वितरण करना।

4.2.2 वंचित समूहों की सहायता के लिए संस्थागत प्रक्रिया

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट गुणवत्ता में सुधार के संबंध में संस्थागत स्तर के निष्पादन की निगरानी पर जोर देता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने एससी और एसटी वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए एससी/एसटी सेल की स्थापना की शुरूआत की थी तथा बारहवी पंचवर्षीय योजना ने सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में अल्पसस्यकों सहित सभी वंचित सामाजिक समूहों के छात्रों के प्रवेश, उनके प्रदर्शन, क्षमता विकास के लिए प्रयास आदि पर निगरानी के लिए अनिवार्य रूप से सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी[67]) के गठन की परिकल्पना की। सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

67 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, सीईडीसी को अल्पसंस्यकों सहित वंचित सामाजिक समूहों के छात्रों के प्रवेश, उनके प्रदर्शन, क्षमता निर्माण के प्रयासों, तथा संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती पर निगरानी करनी चाहिए।

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय :

- राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर ने एससी/एसटी सेल का गठन किया परन्तु चयनित संघटक महाविद्यालयों ने पृथक से एससी/एसटी सेल का गठन नहीं किया। सीईडीसी का गठन भी विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों में 2014-19 के दौरान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा एससी/एसटी सेल द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। विश्वविद्यालय ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
- जेएनवीयू, जोधपुर और चयनित संघटक महाविद्यालय ने एससी/एसटी सेल का गठन किया। इसके द्वारा 2014-18 के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के बीच समान अवसरों की उपलब्धता व उनके मौलिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष एक संगोष्ठी और दो लघु अवधि के कोर्सों का आयोजन किया। हालांकि, सीईडीसी का गठन नहीं किया गया था।
- जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने विश्वविद्यालय में एससी/एसटी सेल अथवा सीईडीसी का गठन नहीं किया।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालय :

नमूना जांच किए गए 36 में से 23 (63.88 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों में एससी/एसटी सेल का गठन पाया गया लेकिन सीईडीसी का गठन नमूना जांच किए गए किसी भी राजकीय महाविद्यालय में नहीं पाया गया।

4.2.3 लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम और लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं

प्रायः महिलाएं हमारे समाज का सबसे बड़ा वंचित वर्ग माना जाता है, सामान्य रूप से महिलाओं का उत्थान और विशेष रूप से उच्च शिक्षा में लैंगिक समता को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण सरोकार रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रमों (महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन और हिंसा, महिलाओं के अधिकारों और अपराधिक न्याय तक पहुंच, महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में कानूनी जागरूकता आदि) के आयोजन के प्रयासों की संस्था और लैंगिक संवेदनशीलता सुविधाओं (सुरक्षा उपाय और बचाव, परामर्श व कॉमन रूम आदि) की उपलब्धता का मूल्याकंन किया गया है। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय :

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर व दो संघटक महाविद्यालयों ने 2014-19 के दौरान लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए। संघटक महाविद्यालयों ने सूचित किया कि विशेष रूप से केवल लड़कियों/लड़कों के महाविद्यालय होने के कारण इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। संघटक महाविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लैंगिक समता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों जैसे कि महिलाओं के अधिकार और अपराधिक न्याय तक पहुंच के द्वारा प्रदान की गई जागरूकता एवं जानकारी का उपयोग केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा व्यतीत किए गए समय तक ही सीमित नहीं है।

इन कार्यक्रमों से, समाज में प्रचलित लैंगिक समता के बारे में और सामान्य रूप से समाज में अपनी पारस्परिक बातचीत के माध्यम से कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, के बारे में छात्रों, लड़के और लड़कियों दोनों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और लड़कों तथा लड़कियों दोनों को समान महत्व देते हुए लैंगिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।

- जेएनवीयू, जोधपुर और संघटक महाविद्यालयों द्वारा 2014-19 के दौरान इस तरह के 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 363 छात्र और अध्यापक सम्मिलित हुए। हालाँकि जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2014-19 के दौरान इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए।

(ii) ***नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालयों में :*** नमूना जांच किए गए 36 में से 20 (55.56 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों में 2014-19 के दौरान औसतन 27 लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम[68] आयोजित किए जिसमें औसतन 3,312 छात्र शामिल हुए।

उत्तम कार्यप्रणाली : गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा ने 2015-19 के दौरान लगातार चार वर्षों तक लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए।

4.3 सामर्थ्यता

उच्च शिक्षा तक समान और सुगम पहुंच के लिए सामर्थ्यता एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। विनियमित शुल्क संरचना, राजकीय और निजी महाविद्यालयों में तुलनीय शुल्क, आकर्षक छात्र ऋण योजनाएं और छात्रवृत्ति/शुल्कमुक्ति के लिए पर्याप्त अवसर कुछ ऐसे कारक है जो उच्च शिक्षा के व्यय को वहनीयता बनाने में योगदान करते हैं। राजस्थान सरकार तथा नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त सूचनाओं और उत्तरों की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ।

4.3.1 शुल्क संरचना में एकरूपता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियमन 2009 के अनुसार प्रत्येक छात्र से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय विधान का अनुच्छेद 33 यह विहित करता है कि प्रत्येक महाविद्यालय में प्रभारित शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूजीसी विनियमन, 2009 में विशिष्ट प्रावधान होने के उपरांत भी नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों ने अपने संबद्ध निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क

68 बेटी बचाओ बेटी पढाओ, आत्मरक्षा कौशल कार्यक्रम, एनीमिया और कुपोषण कार्यक्रम, यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला, बेटियां अनमोल हैं कार्यक्रम और फैशन डिजाइनिंग की कार्यशाला।

संरचना को अनुमोदित नहीं किया। नमूना जांच किए गए सभी 30 संबद्ध निजी महाविद्यालयों द्वारा शुल्क संरचना का निर्णय अपने स्वयं के स्तर पर किया गया था।

राजस्थान सरकार ने भी निजी महाविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों के लिए एकरूप शुल्क संरचना को निर्धारित नहीं किया था। इस संबंध में पूछे जाने पर आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2020) कि राजकीय महाविद्यालयों के लिए एकरूप शुल्क सरंचना तय करने के लिए मानदंडों को अंतिम रूप देने का कार्य अक्टूबर 2020 तक प्रक्रियाधीन था।

(ii) नमूना जांच किए गए 66 संबद्ध राजकीय व निजी महाविद्यालयों द्वारा अवधि 2018-19 में कोर्सवार वार्षिक शुल्क की संवीक्षा से पता चला कि 36 राजकीय व 30 निजी महाविद्यालयों ने स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स के लिए क्रमशः ₹ 649 से ₹ 5,000 तक एवं ₹5,000 से ₹45,000 तक वार्षिक शुल्क[69] प्रभारित किए। इस प्रकार, शुल्क संरचना की निगरानी के लिए तंत्र की अनुपस्थिति में, निजी महाविद्यालयों ने राजकीय महाविद्यालयों की तुलना में बहुत अधिक शुल्क प्रभारित किए।

जैसा कि ***अनुच्छेद 4.1.1.2 में*** पूर्व में चर्चा की गई है कि 89 ब्लॉकों में राजकीय महाविद्यालय नहीं थे, अतः छात्र महंगे निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए या लम्बी दूरी की यात्रा करने के लिए मजबूर हुए होंगे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना का निर्धारण एक नीतिगत निर्णय है और राज्य सरकार ने इस उदेश्य के लिए किसी नियामक निकाय का गठन नहीं किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विश्वविद्यालय की हैंडबुक के अनुसार, निजी महाविद्यालयों को छात्रों से राजकीय महाविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का 50 प्रतिशत से अधिक शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और यदि अधिक शुल्क वसूल किया जाना था तो विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी। तथ्य यह है कि हैंडबुक में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले महाविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

4.3.2 छात्रवृत्ति/शुल्कमुक्ति

छात्रवृत्ति/शुल्कमुक्ति[70] योजनाएं एक सुविधाजनक तंत्र के रूप में, सरकारों द्वारा न केवल मेधावी

69 **राजकीय महाविद्यालयों** द्वारा प्रभारित बीए के लिए शुल्क : ₹649 से ₹2,524, बी कॉम : ₹649 से ₹2,524, बीएससी : ₹649 से ₹2,524, एमए : ₹748 से ₹5,000, एम कॉम : ₹748 से ₹2,245 एवं एमएससी : ₹779 से ₹1,156 तथा **निजी महाविद्यालयों** द्वारा प्रभारित बीए के लिए शुल्क : ₹5,000 से ₹40,000, बी कॉम : ₹6,000 से ₹40,000, बीएससी : ₹10,000 से ₹45,000, एमए : ₹7,500 से ₹20,500, एम कॉम : ₹6,000 से ₹20,500 एवं एमएससी : ₹20,000 से ₹43,000 । सभी प्रकार के छात्रों से राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रभारित शुल्क पर विचार किया गया ।

70 छात्रवृत्ति का आशय, किसी छात्र को उसके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए योग्यता, आवश्यकता आदि के आधार पर दी जाने वाली धनराशि या अन्य सहायता है। शुल्कमुक्ति का आशय कुल शिक्षा शुल्क का भुगतान प्रायोजक या सहायता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई अवधि के लिए किया जाता है।

छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अपितु शिक्षा तक पहुंच में समता बढ़ाने के लिए भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती रही हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि एससी/एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक की भागीदारी बढ़ाने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति और फेलोशिप को बढ़ाया जा सकता है।

4.3.2.1 राज्य स्तर पर

राजस्थान में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं से 2014-19 के दौरान शिक्षण शुल्क नहीं लिया गया था। आगे निदेशक, कॉलेज शिक्षा ने राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित (जून 2011) किया कि शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से दिव्यांग छात्रों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार द्वारा 2014-19 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजेईडी), जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडी) और अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में 33.78 लाख छात्रों को राशि ₹ 3,392.79[71] करोड़ प्रदान किए। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए छात्रों द्वारा स्वीकृति जारी करने वाले संबंधित विभाग को आनलाईन आवेदन किया गया और विभाग द्वारा भी छात्रवृत्ति की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई।

पूछे जाने पर भी, प्रत्येक प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्रों की संख्या किसी भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इस प्रकार, राज्य स्तर पर पात्र छात्र छात्रवृत्ति से किस सीमा तक लाभान्वित हो रहें थें और इस तरह की योजनाओं का उच्च शिक्षा में पहुंच और समता बढ़ाने में यदि कोई सकारात्मक प्रभाव पडा है, तो लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थी।

4.3.2.2 संस्थागत स्तर पर

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय :

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और दो संघटक महाविद्यालयों में सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति के माध्यम से औसतन 27.39 प्रतिशत छात्र तथा शुल्कमुक्ति के माध्यम से औसतन 0.25 प्रतिशत छात्र लाभान्वित हुए।
- जेएनवीयू, जोधपुर और चयनित संघटक महाविद्यालय ने सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृति और शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभान्वित छात्रों की संख्या के बारे में आंकड़े संधारित नहीं किए।

71 उच्च शिक्षा विभाग: 4.41 लाख छात्रों को ₹254.68 करोड़, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग: 27.19 लाख छात्रों को, ₹3,034.83 करोड़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग: 1.98 लाख छात्रों को ₹90.68 करोड़ और अल्पसंख्यक विभाग: 0.23 लाख छात्रों को ₹12.60 करोड़।

- जीजीटीयू, बांसवाड़ा में 2014-19 के दौरान छात्रवृति के माध्यम से औसतन 78.92 प्रतिशत छात्र लाभान्वित हुए।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय एवं निजी महाविद्यालय:

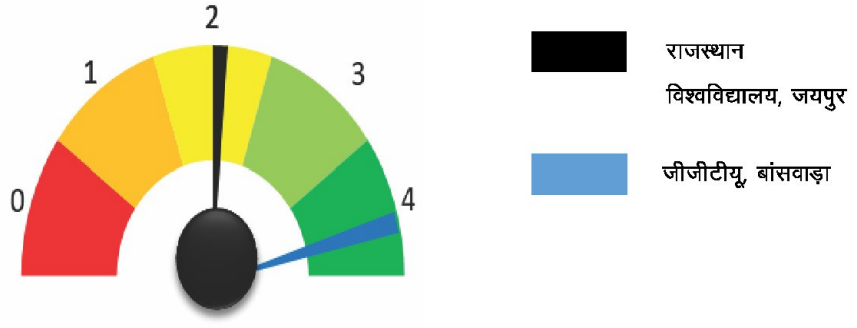
- 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में सरकार के माध्यम से औसतन 40.05 प्रतिशत छात्र (3,37,330 में से 1,35,101) छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित हुए और औसतन 32.99 प्रतिशत छात्र (3,37,330 में से 1,11,297) शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभान्वित हुए।
- 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में औसतन 15.56 प्रतिशत छात्र (57,598 में से 8,960) छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित हुए जबकि उन्हें कोई शुल्कमुक्ति नहीं दी गई।

(iii) संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन:

छात्रवृत्ति और शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या के समक्ष नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के प्रर्दशन का आकलन, एक संकेतक, ***2014-19 के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति और शुल्कमुक्ति से लाभान्वित हुए छात्रों का औसत प्रतिशत (परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 25)*** का मूल्यांकन किया गया था। नैक द्वारा ऐसे संस्थानों को अधिकतम अंक प्रदान किए गए जिनमें औसतन 40 प्रतिशत और उससे अधिक छात्र छात्रवृत्ति और शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभन्वित हुए। इसलिए, नैक बेचमार्क के अनुसार:

- जीजीटीयू, बांसवाडा अधिकतम अंक (चार) प्राप्त करने के लिए पात्र था।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण, लेखापरीक्षा उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं कर सकी, हालांकि, चयनित 11 विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर इस संकेतक के लिए दो अंक प्राप्त करने के लिए पात्र थी।
- जेएनवीयू, जोधपुर में ऐसे आंकड़ों का संधारण नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा किसी भी स्तर पर इस संकेतक के लिए उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं कर सकी।

चार्ट 4.3 : चिन्हित परिणाम संकेतक के सन्दर्भ में चयनित विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन



4.4 उचित अवसंरचना

भवन, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और उपकरण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अधिगम वातावरण के लिए महत्वपर्ण तत्व है। उच्च गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना बेहतर निर्देशन को सुगम बनाता है, छात्रों की पहुंच व ठहराव दर में सुधार करता है, जो अन्य लाभों के साथ-साथ छात्र अपेक्षित परिणामों में सुधार करता है।

4.4.1 भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की उपलब्धता

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भवनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की न्यूनतम आवश्यकता को निर्दिष्ट करने वाले मानदंड न तो उपलबध कराए गए और न ही वे अभिलेखों में पाए गए थे, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इस तरह के अवसंरचना की उपलब्धता का मूल्यांकन संबद्ध महाविद्यालयों के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियमन, 2009 के तहत तय मानदंडों के आधार पर किया गया। यह विनियमन भवनों की आवश्यकता (व्याख्यान/सेमीनार कक्ष न्यूनतम 15 वर्ग फीट प्रति छात्र, पुस्तकालय व प्रयोगशालाएं 20 वर्ग फीट प्रति छात्र), 1,000 पुस्तकों के साथ पुस्तकालय, पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशाला आदि को निर्दिष्ट करता है ।

4.4.1.1 नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय

(i) ***राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर :*** 2014-19 के दौरान प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन, प्रयोगशालाएं और केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थी तथा अच्छी स्थिति में संचालित की जा रही थी।

(ii) ***जेएनवीयू, जोधपुर :*** 2014-19 के दौरान विश्वविद्यालय में पर्याप्त प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन, प्रयोगशाला और केन्द्रीय पुस्तकालय उपलब्ध थे, हालाँकि, पुस्तकालय के लिए स्वीकृत 33 में से 20[72] पद रिक्त थे। विशेष रूप से पुस्तकें क्रय के लिए राशि ₹ 26.43 लाख उपलब्ध होने के उपरांत भी विश्वविद्यालय द्वारा विभागों के लिए आवश्यक 5,069 पुस्तकें क्रय नहीं की गई। पुस्तकालय पूरी तरह स्वचालित नहीं थी और बजट की कमी के कारण पुस्तकों का रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन अपूर्ण और गैर-कार्यात्मक था। 2014-19 के दौरान पुस्तकों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। बरसात के मौसम में पानी की सीलन के कारण पुस्तकालय के कमरे/हाल की छत/दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिससे हजारों किताबें नष्ट हो गई। जेएनवीयू, जोधपुर ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार कर लिया ।

(iii) ***जीजीटीयू, बांसवाड़ा :*** विश्वविद्यालय किराए के भवन में संचालित है। स्वयं के भवन का निर्माण कार्य जो कि फरवरी 2019 तक पूर्ण होना था अभी भी प्रगतिरत है। इस कारण

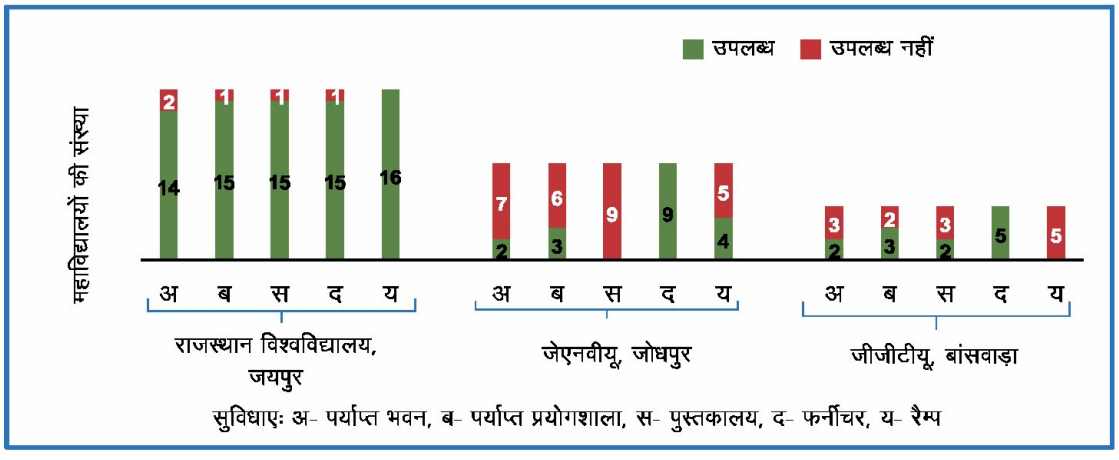
72 पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के तीन पद, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के तीन पद, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के दो पद इत्यादि ।

से, विश्वविद्यालय नए कोर्स, केंद्रीयकृत मूल्यांकन प्रणाली और अन्य शैक्षणिक कार्यों को शुरू करने में सक्षम नहीं था। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विश्वविद्यालय से एक किलोमीटर दूर गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय में संचालित हो रहा था।

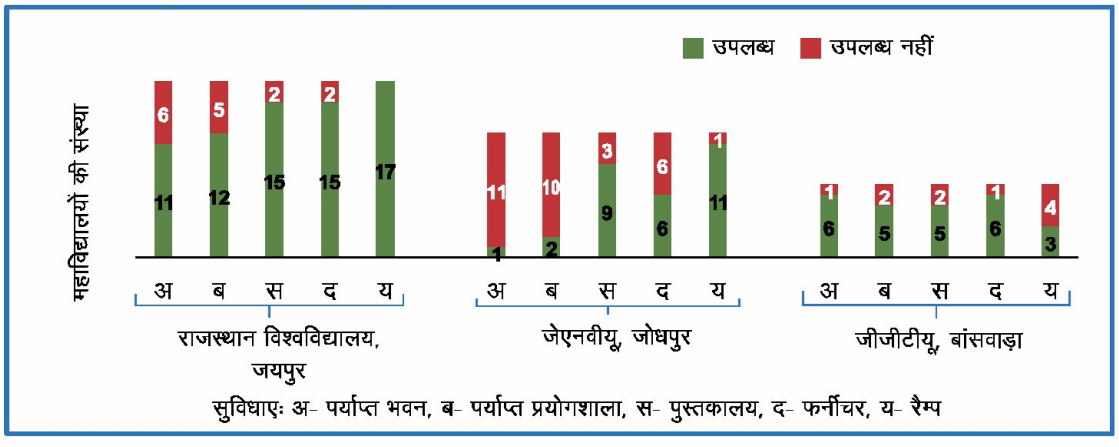
4.4.1.2 संबद्ध महाविद्यालय

चयनित तीनों विश्वविद्यालयों के नमूना जांच किए गए 66 महाविद्यालयों में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि की उपलब्धता की स्थिति ***चार्ट 4.4*** और ***4.5*** में दी गई है।

चार्ट 4.4 : नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता



चार्ट 4.5 : नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता



यह देखा जा सकता है कि :

- नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में से, केवल 18 (60 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन थे, 21 (70 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं थी, 17 (57 प्रतिशत) में पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाएं थी तथा 29 (97 प्रतिशत) के पास पर्याप्त फर्नीचर था। यद्यपि नमूना जांच किए गए 20 महाविद्यालयों में पर्याप्त रैम्प उपलब्ध थे, लेकिन नमूना जांच किए गए सभी 30 निजी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय विनियमन,

2009 और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में निर्धारित दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाए[73] उपलब्ध नहीं थी। आगे, जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध चार महाविद्यालय[74] विद्यालयों/आईटीआई महाविद्यालयों के साथ चलाए जा रहें थें।

- इसी तरह, नमूना जांच गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में से 18 (50 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रशासनिक/शैक्षणिक भवन थे, 19 (53 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं थी, 29 (81 प्रतिशत) में पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाएं थी तथा 27 (75 प्रतिशत) के पास पर्याप्त फर्नीचर था। यद्यपि नमूना जांच किए गए 31 महाविद्यालयों में पर्याप्त रैम्प उपलब्ध थे, लेकिन नमूना जांच किए गए सभी 36 राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय विनियमन, 2009 और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में निर्धारित दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाए[75] उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा तीन महाविद्यालय[76] विद्यालय भवनों में चलाए जा रहें थे।

आगे, नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई :

- ***राजकीय महाविद्यालय, जयपुर***

1,500 छात्रों को बैठाने के लिए आठ कक्षाओं में केवल 345 कुर्सियां ही उपलब्ध थी। महाविद्यालय में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगोल की अस्थाई प्रयोगशालाओं के लिए ना तो अलग से प्रयोगशाला कक्ष थे और ना ही उपकरण स्थापित किए थे। पांच कक्षाओं को प्रयोगशाला-सह-कक्षाओं में परिवर्तित किया गया था।



चित्र 1: भौतिक प्रयोगशाला एक कक्षा में संचालित की जा रही थी



चित्र 2: कक्षा का छोटा आकार

73 नैक नियमावली के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 46 दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं में लिफ्ट, ब्रेल सॉफ्टवेयर, रेस्ट रूम, परीक्षाओं के लिए स्क्रिबल, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष कौशल विकास शामिल हैं।

74 एमआर मेमोरियल महाविद्यालय, धोरीमन्ना; भास्कर महाविद्यालय, बालोतरा; हिल ग्रोव कर्नल महाविद्यालय सुमेरपुर और रूपाराम सेवदा महाविद्यालय, केरू

75 नैक नियमावली के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 46 दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं में लिफ्ट, ब्रेल सॉफ्टवेयर, टॉयलेट, परीक्षाओं के लिए स्क्रिबल, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष कौशल विकास शामिल हैं।

76 राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन; राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर और राजकीय महाविद्यालय, सिमलवाड़ा।

- ***गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा***

पर्याप्त संख्या में कमरे उपलब्ध नहीं होने के कारण कक्षाएं खुली गैलरी में संचालित की जा रहीं थी। 2009 से पुस्तकालय में नियमित पुस्तकालयाध्यक्ष पदस्थापित नहीं था। पुस्तकालय भवन की छत और फर्श पानी के रिसाव के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा स्टोर के उपकरण, किताबें बारिश के पानी से प्लास्टिक शीट द्वारा सुरक्षित की गई थी। भंडारण की बुरी स्थिति के कारण कई बहुमूल्य पुरानी पुस्तकें और साहित्य खराब/फटे हुए पाए गए।



चित्र 3 : गैलरी में बैठने की व्यवस्था



चित्र 4: पुस्तकालय की स्थिति

- ***राजकीय महाविद्यालय, सिमलवाड़ा***

राजस्थान सरकार ने 2017-18 में बीएससी कार्यक्रम के लिए यह महाविद्यालय खोला था जिसमें 2017-19 के दौरान 84 से 174 छात्र नामांकित थे। राजकीय महाविद्यालय एक राजकीय बालिका विद्यालय के केवल दो कमरों में संचालित था, जिनमें से एक कमरे का उपयोग कार्यालय उद्देश्य के लिए व दूसरे कमरे का उपयोग फर्नीचर के भंडारण के लिए किया जा रहा था। कक्षाएं सात फीट चौड़ी गैलेरी में संचालित होती थी लेकिन 19 और 20 नवम्बर 2019 को किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही थी ।



चित्र 5: कक्षा का उपयोग भंडारण के रूप में



चित्र 6 : खुली दीर्घा में सचालित कक्षा

प्रयोगशाला व पुस्तकालय के लिए अलग से कमरे उपलब्ध नहीं थे तथा सभी प्रयोगशाला उपकरण व पुस्तकें ताले में बंद थे। महाविद्यालय के स्थापना (2017-18) के बाद से नवम्बर 2019 तक वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी विषयों हेतु अध्यापकों का पदस्थापन नहीं किया गया था। 13 में से 12 गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के पद 2017-18 से ही रिक्त थे।



चित्र 7 : प्रयोगशाला उपकरणों का अलमारी में भंडारण

इस प्रकार, दो शैक्षणिक सत्र वर्ष पूर्ण होने के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा महाविद्यालय में न्यूनतम बुनियादी अवसंरचना जैसे कि शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि तथा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ प्रदान नहीं किए गए थे।

- ***राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा***

महाविद्यालय में पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं थें क्योंकि 7,000 छात्रों को बैठाने के लिए प्रति कक्षा 750 वर्ग फीट क्षेत्रफल के केवल 32 कमरे थे। शैक्षणिक भवन और अपर्याप्त फर्नीचर के साथ कमरों के कुछ हिस्से खराब स्थिति (टूटी खिड़कियाँ, छतिग्रस्त छत) में थे।

- ***राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर***

राजस्थान सरकार ने 2015-16 में स्नातक कार्यक्रमों के लिए यह महाविद्यालय शुरू किया। महाविद्यालय एक विद्यालय भवन में चलाया जा रहा था। इसके स्वयं के भवन का निर्माण जो कि जुलाई 2019 में पूर्ण होना नियत था अभी भी प्रगतिरत था। महाविद्यालय में कोई पुस्तकालय उपलब्ध नहीं था और पुस्तकें चार अलमारियों में स्टाफ रूम में रखी हुई थी एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का पद महाविद्यालय की स्थापना के बाद से ही रिक्त था।

बीएससी और बीए भूगोल के दो बैच स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत भी, महाविद्यालय में प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं थी। इंगित करने पर, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने सूचित किया कि आस-पास के विद्यालयों/ महाविद्यालयों में अस्थाई व्यवस्था की जा रही है। संस्कृत, इतिहास और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों के पद तथा 16 में से 13 गैर-शैक्षणिक पद महाविद्यालय प्रारंभ होने से ही खाली पड़े थे।

- ***छात्र सर्वेक्षण के नतीजे :*** छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के प्रश्न *क्या आप अपने परिसर में स्थित पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय और स्वच्छता से संतुष्ट है?* के उत्तर में लगभग 25 प्रतिशत छात्रों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध **पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय सुविधाओं और स्वच्छता** के सम्बन्ध में असंतुष्टि/ आंशिक संतुष्टि जाहिर की।

4.4.2 अवसरंचनाओं के लिए वित्तपोषण

विश्वविद्यालय अवसरंचनाओं के निर्माण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों से निधि प्राप्त करते हैं। 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों में अवसरंचनाओं के लिए बजट आवंटन तथा वेतन के अतिरिक्त व्यय की स्थिति नीचे ***तालिका 4.5*** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.5: अवसरंचनाओं के लिए बजट आवंटन तथा वेतन के अतिरिक्त कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

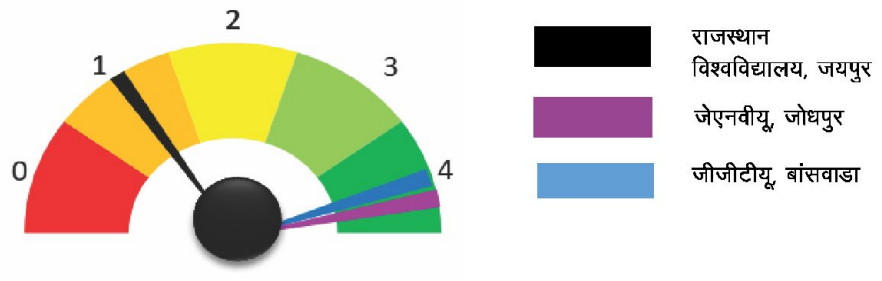
विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	वेतन के अतिरिक्त व्यय (1)	अवसरंचनाओं के लिए बजट आवंटन {(1) का प्रतिशत} (2)	अवसरंचनाओं पर किया गया व्यय (3)
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2014-15	155.00	7.15 (4.61%)	7.22
	2015-16	162.94	6.85 (4.20%)	6.21
	2016-17	174.89	11.80 (6.75%)	12.74
	2017-18	179.80	17.26 (9.60%)	17.58
	2018-19	257.30	5.28 (2.05%)	4.01
औसत			5.44%	
जेएनवीयू, जोधपुर	2014-15	12.70	0.78 (6.14%)	1.63
	2015-16	10.49	4.02 (38.32%)	3.91
	2016-17	28.08	3.60 (12.82%)	4.03
	2017-18	18.62	7.08 (38.02%)	4.87
	2018-19	22.90	6.78 (29.61%)	6.12
औसत			24.98%	
जीजीटीयू, बांसवाड़ा	2014-15	0.00	0.00 (0.00%)	0.00
	2015-16	0.00	0.00 (0.00%)	0.00
	2016-17	0.00	0.00 (0.00%)	0.00
	2017-18	1.58	1.58 (100%)	1.58
	2018-19	3.55	3.55 (100%)	3.55
औसत			*40%*	

स्रोत : संबंधित विश्विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना

यह देखा जा सकता है कि 2014-19 के दौरान वेतन के अतिरिक्त व्यय के संबंध में अवसरंचनाओं पर औसत बजट आवंटन राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाडा में क्रमशः औसतन 5.44 प्रतिशत, 24.98 प्रतिशत और 40 प्रतिशत था।

(i) संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन : नैक ***2014-19 के दौरान अवसंरचना की वृद्धि के लिए वेतन के अतिरिक्त बजट आवंटन का औसत प्रतिशत*** संकेतक के संदर्भ में सस्थानों को, जहां पिछले पांच वर्षों में अवसंरचना की वृद्धि के लिए वेतन के अतिरिक्त औसत बजट आवंटन 20 प्रतिशत से अधिक है, अधिकतम स्कोर प्रदान करता है। इस प्रकार, नैक बेंचमार्क के अनुसार जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाडा अधिकतम अंक (चार) के लिए पात्र थे जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर केवल एक अंक के लिए पात्र था।

चार्ट 4.6 : चुने गए परिणाम संकेतक के संबध में चयनित विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन



4.4.3 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में शोध के लिए क्रय किए गए उपकरणों का अनुपयोगी रहना

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा रूसा/यूजीसी/विज्ञान व तकनीकी विभाग की योजनाओं के तहत शोध के लिए 2013 से नवम्बर 2018 के दौरान ₹ 9.40 करोड़ की लागत से क्रय किए गए सात उपकरणों को दिसम्बर 2019 तक उनकी स्थापना से ही अथवा लंबे समय से उपयोग में नहीं लिया जा रहा था।

आगे, रसायन विज्ञान विभाग में सात में से पांच उपकरण स्थापना के समय से ही उपयोग में नहीं लिए गए थे। ट्रांसमिशन इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप का उपयोग मई 2015 के उपरांत नहीं किया गया था तथा आणविक बीम एपिटाक्सी उपकरण का उपयोग जुलाई 2016 में क्रय के समय से ही नहीं किया गया था।

ध्यान में लाये जाने पर, संबंधित विभाग ने लेखापरीक्षा को विरोधाभासी उत्तर दिए। सितंबर 2019 में, उन्होंने सूचित किया कि रसायन विज्ञान विभाग के लिए उपकरण उनकी बिना आवश्यकता के विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा क्रय किए गए थे। तथापि, दिसंबर 2020 में, विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि उपकरण खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे क्योंकि उनकी मूल आवश्यकता पीएचडी छात्रों के लिए थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक रखरखाव शुल्क के लिए धन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों से ट्रांसमिशन इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप कार्य नहीं कर रहा था। निदेशक, सेन्टर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी (सीसीटी) ने सूचित किया की आणविक बीम एपिटाक्सी का संचालन नहीं किया जा सका क्योंकि इसकी संचालन लागत प्रतिवर्ष ₹ एक करोड़ थी और सीसीटी इतने भारी व्यय को वहन करने की स्थिति में नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण और मशीनरी इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लिए गए थे। इसके कारण प्रभावित हुए शोधकर्ताओं और शोध परियोजनाओं की संख्या के बारे में जब पूछताछ की गई, तो सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार, रसायन विज्ञान विभाग की शोध उपकरणों की आवश्यकता और संचालन लागत का उचित आकलन करने की विफलता के कारण, क्रय किए गए उपकरणों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सका।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विभिन्न कारणों से उपकरणों का उनकी क्षमतानुसार उपयोग नहीं किया जा सका तथा संबंधित समस्याओं के निराकरण के पश्चात् इनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा।

सारांश और सिफारिशें

राजस्थान सरकार ने उन आवासीय क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया जिनमें उच्च शिक्षा सुविधाओ का अभाव था। राज्य के सामान्य डिग्री महाविद्यालयों का वितरण क्षेत्रीय स्तर के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान रूप से नहीं था।

हालांकि 2010-19 के दौरान राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात बढ़ा लेकिन यह राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से लगातार कम रहा है। आगे, 2018-19 के दौरान राजस्थान महाविद्यालयों की संख्या (चौथी) व महाविद्यालय घनत्व (आठवीं) के परिपेक्ष्य में अच्छी रैंकिंग पर था, लेकिन सकल नामांकन अनुपात के परिपेक्ष्य में यह बहुत नीचे स्थान पर था (23वीं रैंक) जिसे राजस्थान के विभिन्न जिलों में महाविद्यालयों की विषम उपलब्धता से समझा जा सकता है। एससी और एसटी के सकल नामांकन अनुपात में 2014-19 के दौरान सुधार हुआ है लेकिन एससी का सकल नामांकन अनुपात अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम था। आगे राजस्थान सरकार ने ओबीसी और अल्पसंख्यकों व दिव्यांगजन जैसे वर्गों के सकल नामांकन अनुपात से सम्बंधित आंकड़े संधारित नहीं किए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम 2009 में प्रावधान होने के उपरांत भी विश्वविद्यालयों ने निजी संबद्ध महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना विनियमित नहीं की थी। नमूना जांच किए गए अधिकांश राजकीय और निजी महाविद्यालयों में पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना जैसे कि भवन, प्रयोगशाला और फर्नीचर उपलब्ध नहीं थी और नमूना जांच किए गए सभी 66 महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप के अतिरिक्त कोई दिव्यांगजन अनुकुल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

सिफारिशें :

राज्य सरकार :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और सभी वर्गों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करें;

2. उच्च शिक्षा के व्यय को वहन योग्य बनाने के लिए निजी महाविद्यालयों की शुल्क संरचना को विनियमित करें।

3. गुणवत्तापूर्ण अवसरंचना की उपलब्धता तथा उच्च शिक्षा के परिणामों के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार को प्रभावी शिक्षण, पहुंच में सुधार तथा छात्रों की ठहराव दर में वृद्धि हेतु राजकीय महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसरंचना प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए।

4. विश्वविद्यालयों को संबद्ध निजी महाविद्यालयों में बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और इन महाविद्यालयों की शुल्क संरचना को विनियमित करना चाहिए।

5. विश्वविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी के विकास सहित अवसरंचना में सुधार तथा उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के क्रय और उपयोग के लिए उचित योजना तैयार करनी चाहिए।